

सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं करता कोई भुगतान

देश भर में आए दिन कई प्रदर्शन होते हैं, जिनमें से बहुत से उग्र हो उतते हैं। इसका पर्याप्त हमारे सामने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के रूप में सामने आता है। नागरिकता संशोधन कानून (सीए) के विरोध में देश के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन हुए हैं। अकेले जगह पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने हैं। लालिक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को किसी बात का डर नहीं होता है। इसका कारण ज्यादातर मामलों में दोनों को सजा नहीं मिल पाना है।



बंगाल के मुरुंगादाबाद में प्रदर्शनकारियों ने फूंकी रेल और हावड़ा में जलाई सरकारी बसें। ● प्रेट

बंगाल और दिल्ली में नहीं छोड़ी कोई कोई कोर कसर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के हालिया मामले सीधे के बाद सामने आए हैं। ताजा उदाहरण दिल्ली का है। जहां पर रविवार को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पुलिस-जनता आमने-सामने हो गए। इस दौरान डीटीसी की बसों, निजी बाहनों और पुलिस की मोटरसाइकिलों को आग के हालों कर दिया गया था उत्तर में जगरत तोड़फोड़ की गई। वहीं बंगाल में भी प्रदर्शनकारियों ने इस कानून के विरोध में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद सामने आये। यहां तीन रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनल, एक पोर्ट ऑफिस और एक बैंक के साथ वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया।

अपनी संपत्ति, अपना नुकसान सार्वजनिक संपत्ति को लेकर सबसे डरी विडब्ल्यूएच है कि यो लोग अपने खुन-प्रसीनी की कमाई में सार्वजनिक संपत्ति के नियमों में अहम योगान देते हैं। अकेले वाताने हैं कि सार्वजनिक संपत्ति और वाहनों के बिना के लिए कोई भी भुगतान नहीं करता है।



दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने केवल विरोध में की आगजनी। ● प्रेट

सर्वाधिक नुकसान उठाने वाले राज्य



सार्वजनिक संपत्ति तोड़फोड़ के मामलों में दोषसिद्धि की दर 29.8 प्र०साद है। यह बताता है कि आखिर योंसे सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान के दिल्ली कोई भी भुगतान नहीं करता है। 2017 के आखिर तक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 14 हजार से ज्यादा मामले अदालतों में लंबित थे। जहां पर इस तरह के सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कोई क्षरण नहीं थी तो आसान भी अक्षुण्ण नहीं रहा। यहां तीन रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनल, एक पोर्ट ऑफिस और एक बैंक के साथ वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया।

यह कहता है कानून

सार्वजनिक संपत्ति नुकसान नियामन कानून 1984 के अनुसार, जो कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को अपने किसी भी कृत्य द्वारा नुकसान पहुंचाता है, उसे पांच साल तक की रुक्का और उपर्यन्त दोनों पड़ सकता है। सार्वजनिक संपत्ति के रूप में ऐसे भवन, प्रतीटान का नाम दिया गया है जिसका उपयोग जल, ग्रामीण वितरण में किया जाता है। इसके साथ ही कोई तेल प्रतिष्ठान, सीवरज, खान या कारखाना या फिर कोई लैंग परिषद्धान या दूसरी वार्ता साधन या उपयोग के लिए कोई भी भवन, प्रतीटान संघरण अदालतों में लंबित थे। वहां पर इस तरह के सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कुल 6 हजार मामले सामने आए हैं, जो वितजनक हैं। जुमाने से दृढ़ता किया जा सकता है।



जितना चाहें कर लें नागरिकता संशोधन कानून का विरोध : शाह

किया आशवस्त ► **केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, कोई भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा**

विरोध के बावजूद उत्पीड़ित लोगों की नागरिकता सुनिश्चित करेगी सरकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली



नई दिल्ली में मंगलवार को भारत बंदना पार्क के विकासनाम संवाददाता करेगी जिसके बाद अपनी नागरिकता के संबंध में जो बातें जारी रहेंगी।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं है। प्रसाद ने कहा कि एनआरसी के संबंध में प्रसाद ने यहां एक समाचार घैंडली के बावजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

उन्होंने कहा कि एनआरसी की नागरिकता का एक बाल वाला नहीं रहेगा। लैंगिन सम उल्लोगों को नहीं समझी जाएगी। जारी रहना एक बाल वाला नहीं रहेगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजूद मंगलवार को सार्वजनिक संपत्ति के बाबजूद भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विवाद राजनीति के बावजू

आत्मविश्लेषण से ही स्वयं में सुधार संभव हो सकता है

शरारत भरी राजनीति

कांग्रेस की असुन्दरी में 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलकर नागरिकता कानून वापस लेने की मांग करके यही प्रकट किया कि वे इस मसले पर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अखिल किस नियम-कानून के तहत संसद से पारित किसी कानून की वापसी हो सकती है? जो काम संभव ही नहीं उसकी मांग करना राजनीति चमकाने के अलावा और कुछ भी है। विपक्षी दल यह सब इसीले कर रहे हैं, ताकि उन तत्वों को उकसाने में आसानी हो जो इस कानून के विरोध में सड़कों पर उत्तर आगरा आगरा एवं तोड़फोड़ कर रहे हैं। विपक्ष की भड़काऊ राजनीती का पाता इससे भी चलता है कि उसकी ओर से दिल्ली से लेकर बंगाल तक फैलाई जा रही अगरजनका के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। यह अगरजनका संसार भरी राजनीति, अज्ञानता और कुप्रचार की उपज ही है, क्योंकि सच यही है कि नागरिकता कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई वास्ता नहीं। यह कानून तो असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में बांगलादेश एवं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए, अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए है और वह भी उन्हें जो 2014 के पहले आ चुके हैं। हालांकि असम, त्रिपुरा आदि के लोग यह नहीं चाह रहे कि बाहर से आया कोई भी विदेशी उनकी धरती पर बसे। इसीलिए वह इस कानून का विरोध तेज होता है। यह बात और है कि उन्हें भी यह नहीं पता कि वापसी में किसे बाहरी लोग इस कानून से लाभान्वित होंगे और उनके यहां की नागरिक बन जाएं।

वह विडंबन ही है कि प्रत्यंत के जो लोग इस कानून से किसी न किसी रूप में प्रभावित हो सकते हैं उन्हें तो अपना उत्तर विशेष लाग दिया, लेकिन शेष देश में इस झूठी अफवाह के सहारे हिस्सा की जारी रही है कि इससे उनके हित प्रभावित होंगे। यह तो संभव ही नहीं, क्योंकि यह कानून नागरिकता देने का है, न कि लेने का। अगर लोगों को यह साधारण सी बात समझ नहीं आ रही तो इसका यही मतलब है कि वे न समझने का बहाना कर रहे हैं। यह हास्यरात्र ही है कि नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले विपक्षी नेता भी राष्ट्रपति के पास यह गुबर्नर लगाने चले गए कि इस कानून को वापस ले लिया जाए। क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा यह पिछले वर्ष वह नहीं है तो किसे वह खुली मांग क्या नहीं करते कि बांगलादेश, पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता प्रदान करना कानून बनाया जाए?



पाकिस्तान और फौजी तानाथाह

पाकिस्तान की विशेष अदालत ने देशब्रोह के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवर्ज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है। जनरल अंगूष्ठ खान, जनरल याहा खान, जनरल जिया-उल-हक के बाद परवर्ज मुशर्रफ पर शासन करने वाले वीच सेन्य कमांडर हैं। कई बार युनी हुई सरकारों का तखापलट करने वाली पाकिस्तानी फौज लगभग 43 साल तक सत्ता में रही। इस दौरान उसने अपनी कठवादी सेवा से पाकिस्तान को आतंकिस्तान देश बनाने में कोई कर कर सकता है। आइये जानते हैं पाक में कब-कब रहा सेव्य शासन:

अयूब खान

1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन 11 साल बाद ही जनरल मुहम्मद अयूब खान ने सत्ता हाथिया ली और 1958 में खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति कर दिया।

इस दौरान भारत के हाथों पाकिस्तान की करारी हाँ से अयूब खान की सत्ता पर पकड़ कर मोर होने लागी और 1969 में जनरल याहा खान ने उन्हें हुक्मत से बेदखल करके पाकिस्तान की बागड़ेर अपने हाथों में ले ली।

याहा खान

25 मार्च 1969 को राष्ट्रपति का पद संभालने वाले याहा खान के जनाम में पूर्णी पाकिस्तान का बांगलादेश के रूप में जन्म हुआ और 1971 में भारत के हाथों पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। याहा खान को पाकिस्तान की हाँ का प्रमुख कारण माना गया।

20 दिसंबर, 1971 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उससे सभी सेवा समान जीन लिए गए। 1979 तक वह हास्प अरेस्ट

जिया-उल-हक

याहा खान के हटाने के बाद पाकिस्तान में एक बार पिर लाकशही की बराबर चली और जुरुकोंवार अली भट्टो बुनकर प्रधानमंत्री और जिया-उल-हक ने जिस जनरल याहा खान को उन्होंने आर्मी वीफ बनाया, उसी जिया-उल-हक ने 1978 में भट्टो का तखापलट करके खुद ही पाकिस्तान की कमान संभाल ली। साल भर बाद भट्टो को फांसी पर तक्ता दिया। उसके बाद 1988 में जिया-उल-हक की विमान दुर्घटना में मौत होने तक पाकिस्तान में फौजी तुक्मत रही।

परवेज मुशर्रफ

फौजी तुक्मत जाने के बाद युनाव तो कई बार हुए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा लड़ाकूता ही रहा। दुनिया ने एक बार पिर जरिस प्रोलेट पाकिस्तान नामक तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक,

- 2004 से अबतक पाकिस्तान में 4,500 लोगों को मिल चुकी है मौत की सजा।
- 2009 से अबतक दुनिया में कम से कम 19,767 लोगों को मौत की सजा सुनाई हई है। इसी दौरान पाकिस्तान की अदालतों ने 2,705 लोगों को मौत की सजा सुनाई, जो दुनिया भर में योगी की सजा का 14 फीसद है।

उत्तर कोरिया को प्रतिबंधों से रहत दिलाने में जुटे चीन-रूस

प्रयास ► दोनों देशों ने सुरक्षा परिषद में की अपने सहयोगी की पैरवी कोयला, लौह अयस्क और कपड़ों के नियांत पर लगी पांबंदी हटाने की मांग



कारगिल युद्ध के खलनायक परवेज मुशर्रफ



देशब्रोह का केस

- 3 नवंबर, 2007 को देश में आपातकाल लगाया।
- 28 नवंबर को सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया।
- 15 दिसंबर युशर्रफ ने आपातकाल हटाया।
- 3 अगस्त 2008 दो प्रमुख सत्ताधारी दोनों द्वारा महायांगीय का मामला चलाया और जानी की सहमति के बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया।
- 31 जुलाई 2009: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने युशर्रफ के 3 नवंबर 2007 के फैसले को असंवैधानिक बताया।
- 06 अप्रैल युशर्रफ ने अपने खिलाफ आरोपी को बुनियादियां बताया और बिटेन ले गया।
- 23 जनवरी 2012 पाकिस्तानी की संसद ने एक संकालित पारित किया। जिसमें युशर्रफ के लौटाए ही गिरावरान को नियमित किया।
- 24 मार्च 2013 युशर्रफ नुनाव के लिए पाकिस्तान लौटे।
- 08 अप्रैल देशब्रोह मामले में युशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट का समान करने के लिए तलब किया।
- 12 दिसंबर विशेष अदालत ने युशर्रफ को मामले का सामना करने के लिए तलब किया।
- 02 जनवरी 2014 युशर्रफ बीमार होकर अस्पताल में भर्ती।
- 16 मार्च 2016 युशर्रफ को विदेश में इलाज करना की अनुमति मिली।
- 11 मई विशेष अदालत ने युशर्रफ को देशब्रोह मामले में फोरार घोषित किया।
- 2002 में विवादास्पद जनमत संघर्ष के बाद पांच साल के लिए राष्ट्रपति बने।
- 2001 में सैन्य प्रमुख बने।
- 1999 में नवाज शरीफ को हटा सत्ता पर कारिंज हुए।
- 2000 में याहा खान को तखापलट करके खुद में शामिल थी। हालांकि इसके पहले पाकिस्तान इस तथ्य को छिपाता रहा था।
- युशर्रफ ने हार की शर्मिंदी से बचने के लिए पूरी जिमीदारी तकलीफ व्यापक नवाज शरीफ पर डाल दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कारिंजल युद्ध से हाथ खींचे के लिए कहा।
- आगे शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तकलीफी अटल बिहारी वाजपेयी और जवान के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी यानिंग (वार) और उनके द्वारा प्रतिवर्ती के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया।
- आगे शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तकलीफी अटल बिहारी वाजपेयी और जवान के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया। उन्होंने कहा कि अपनी यानिंग (वार) और उनके द्वारा प्रतिवर्ती के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया।
- आगे शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तकलीफी अटल बिहारी वाजपेयी और जवान के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया। उन्होंने कहा कि अपनी यानिंग (वार) और उनके द्वारा प्रतिवर्ती के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया।
- आगे शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तकलीफी अटल बिहारी वाजपेयी और जवान के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया। उन्होंने कहा कि अपनी यानिंग (वार) और उनके द्वारा प्रतिवर्ती के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया।
- आगे शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तकलीफी अटल बिहारी वाजपेयी और जवान के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया। उन्होंने कहा कि अपनी यानिंग (वार) और उनके द्वारा प्रतिवर्ती के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया।
- आगे शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तकलीफी अटल बिहारी वाजपेयी और जवान के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया। उन्होंने कहा कि अपनी यानिंग (वार) और उनके द्वारा प्रतिवर्ती के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया।
- आगे शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तकलीफी अटल बिहारी वाजपेयी और जवान के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया। उन्होंने कहा कि अपनी यानिंग (वार) और उनके द्वारा प्रतिवर्ती के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया।
- आगे शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तकलीफी अटल बिहारी वाजपेयी और जवान के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया। उन्होंने कहा कि अपनी यानिंग (वार) और उनके द्वारा प्रतिवर्ती के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया।
- आगे शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तकलीफी अटल बिहारी वाजपेयी और जवान के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया। उन्होंने कहा कि अपनी यानिंग (वार) और उनके द्वारा प्रतिवर्ती के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया।
- आगे शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तकलीफी अटल बिहारी वाजपेयी और जवान के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया। उन्होंने कहा कि अपनी यानिंग (वार) और उनके द्वारा प्रतिवर्ती के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया।
- आगे शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तकलीफी अटल बिहारी वाजपेयी और जवान के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया। उन्होंने कहा कि अपनी यानिंग (वार) और उनके द्वारा प्रतिवर्ती के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया।
- आगे शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तकलीफी अटल बिहारी वाजपेयी और जवान के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया। उन्होंने कहा कि अपनी यानिंग (वार) और उनके द्वारा प्रतिवर्ती के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया।
- आगे शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तकलीफी अटल बिहारी वाजपेयी और जवान के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्ता की अग्रिम योग्यता दिया। उन्होंने कहा कि अपनी यानिंग (वार) और उनके द्वारा प्रतिवर्ती के बाद युद्ध को लिए बांधनी अटल बिहारी वार्त

